


:: न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.) ::

क्रमांक: 388

दिनांक: 9/4/24

:: आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 17 दिनांक 06.04.2024 में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 10.04.2024 व 11.04.2024 के राजकीय अवकाशों में श्री आशीष मीना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा व दिनांक 13.04.2024 व 14.04.2024 के राजकीय अवकाशों में श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना की लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त कर उक्त दिनांक 10.04.2024, 11.04.2024, 13.04.2024 व 14.04.2024 के राजकीय अवकाशों के दिन झालावाड न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच करना शामिल है, को करने के लिए मानसी राजपूत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (मोबाईल नम्बर 7354813810) को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड
02. श्री आशीष मीना, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा।
03. श्री शारिक हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना।
04. मानसी राजपूत, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।
05. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
06. प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
07. आदेश/संबंधित पत्रावली।
08. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की **Website- jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड।